

## अनुबंध पर बीज उत्पादन के लिये एकरारनामा प्रपत्र

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार के अन्तर्गत .....  
 (धान्य/दलहनी/तेलहनी/ सब्जी /कन्दमूल एवं अन्य फसल) के बीजों के उत्पादन के  
 लिये आज यह अनुबंध दिनांक ..... को निदेशक, बीज, रा०प्र०के०कृ०वि०वि०,  
 पूसा, समस्तीपुर

एवं

बीज उत्पादक: श्री/ श्रीमती ..... किसान उत्पादक संगठन का.  
 ..... संगठन का नाम .....  
 संगठन का निबंधन संख्या ..... संगठन का निबंधन का स्थान.....  
 आधारकार्ड सं० ..... संगठन का पैन कार्ड सं० ..... संगठन  
 की जी०एस०टी० सं० ..... ग्राम ..... पोर्ट .....  
 थाना ..... प्रखण्ड ..... अनुमंडल.....  
 जिला.....(बिहार), पिनकोड ..... मोबाइल सं०.....  
 ईमेल आई० डी० ..... बैंक खाता सं० (आधार लिंक) .....  
 बैंक का नाम एवं शाखा .....  
 आई० एफ० एस० सी० कोड .....

के बीच

“कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम” के अन्तर्गत  
 धान्य/दलहनी/तेलहनी/सब्जी/कन्दमूल एवं अन्य फसल के बीज उत्पादन के लिये तैयार  
 हैं, जिसके अन्तर्गत बीज उत्पादक, फसल श्रेणी.....(आधार/प्रमाणित/सत्यापित)  
 बीज का उत्पादन करेंगे। जिसका बीज उत्पादन क्षेत्रः  
 सर्वे संख्या/खाता संख्या ..... ग्राम .....  
 पोर्ट ..... प्रखण्ड ..... जिला .....  
 राज्य ..... पिनकोड ..... होगा।  
 यह भूमि ..... (स्वयं/ पट्टे) की है। इस पट्टे की भूमि का संबंध  
 श्री/ श्रीमती ..... से है, जिसका आधार कार्ड  
 संख्या ..... है।

बीज उत्पादन हेतु उत्पादन क्षेत्र एवं स्थान निश्चित होगा और इसे उत्पादक द्वारा  
 परिवर्तित नहीं किया जायेगा, जब तक कि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थान परिवर्तन के लिये  
 लिखित में अनुमति नहीं दी जाती है। बुआई/रोपाई जमीन के ..... एकड़/हेठ प्रक्षेत्र  
 पर की जायेगी और विश्वविद्यालय को दी जाने वाली अपरिस्कृत बीज की न्यूनतम मात्रा.....  
 किवंटल ( $\pm 5$ ) बीज गुणक अनुपात पर होगी और इसका उपयोग बीज उत्पादन कार्यक्रम के  
 लिए ही किया जाएगा। बीज प्रक्षेत्र के निरीक्षण के बाद, बिहार राज्य बीज एवं जैव  
 प्रमाणीकरण अभिकरण, पटना के प्रतिनिधि द्वारा घोषित अनुमानित ऊपज के लिए अधिकतम  
 मात्रा बीज गुणक अनुपात से अधिक नहीं होगी।

राठप्र०के०कृ०विंवि०, पूसा, समस्तीपुर "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" के लिए इस अनुबंध उत्पादन की स्वीकार्य शर्तें निम्न प्रकार से है :-

1. बीज उत्पादक द्वारा "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" के लिये आवश्यक आधार/प्रमाणित/सत्यापित बीज को निर्धारित मूल्य पर विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय, ढोली मुजफ्फरपुर से खरीदना होगा। बीज के मूल्य का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा नगद के रूप या ऑनलाईन अग्रिम राशि के रूप में करना होगा। बीज निदेशालय को प्राप्त राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणिकरण अभिकरण, पटना द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क जैसे पंजीकरण, खेत निरीक्षण, बीज परीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क जैसा भी लागू हो, का भुगतान उत्पादक द्वारा ही देय होगा।
2. बीज उत्पादक के द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अन्य फसल/प्रभेद का उत्पादन नहीं किया जाएगा, जिस भूमि/प्रक्षेत्र पर विश्वविद्यालय के "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" के लिए चिह्नित की गई है। यदि ऐसा पाया जाता है तब वह उत्पादक विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा।
3. बीज उत्पादक, "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" अन्तर्गत करार किये गये भूमि को किसी अन्य को हस्तान्तरण अथवा अन्य किसी को उप-पट्टे पर/किराये पर नहीं देगा।
4. बीज उत्पादक, बीज उत्पादन कार्यक्रम करने के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" के सभी तकनीकी आवश्यकताओं तथा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक 2013 में निर्धारित बीज उत्पादन के मानकों अथवा समय-समय पर यथा संशोधित (जब तक निर्दिष्ट नहीं किया जाता है) और अथवा विश्वविद्यालय द्वारा लिखित में सूचित करने पर इनसे सम्बन्धित दायित्व को स्वीकार करेगा, ऐसा न करने पर फसल को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जायेगा।
5. बीज उत्पादक, फसल को एकल फसल के रूप में उगाएगा न कि मिश्रित फसल/अंतरवर्ती फसल/सहयोगी फसल के रूप में।
6. अपरिस्कृत बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादन का मानक (सामान्य एवं विशिष्ट) जैसे कि अलगाव/पृथक्करण दूरी/रोगिंग इत्यादि, जो कि बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण, पटना/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस मानक को उत्पादक को बीज उत्पादन प्रक्षेत्र पर फसल विशेष को ध्यान में रखते हुए अपनाना होगा। उक्त मानक के अभाव में विश्वविद्यालय को बीज उत्पादन खेत/प्रक्षेत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस तरह के मामलों में उत्पादक वित्तीय हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
7. विश्वविद्यालय और बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण, पटना के प्रतिनिधि को किसी भी दिन अथवा समयानुकूल बीज उत्पादन प्रक्षेत्र पर चलाये जा रहे "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा।

8. दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि/क्षति के लिए केवल संबंधित बीज उत्पादक ही उत्तरदायी होगा। कृषक बीज उत्पादन प्रक्षेत्र/भंडार गृह से बीज को विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय, ढोली, मुजफ्फरपुर के परिसर में उत्पाद के लाने के दौरान किसी भी प्रकार के आकस्मिक या प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से उत्पन्न नुकसान/क्षति के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
9. अंतिम प्रक्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित फसल की स्थिति के आधार पर निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप बीज उत्पादक अपने पूरे उत्पादित बीज को विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय, ढोली, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध करायेगा।
10. बीज उत्पादक द्वारा, अच्छी तरह उत्पादित बीज को स्वयं के खर्च परं साफ—सफाई व छंटाई करके, स्थापित न्यूनतम मानकों के अनुकूल बोरियों में पैकिंग करके विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय के परिसर पर उपलब्ध करायेगा। बीज निदेशालय केवल विनिर्देशों के तहत ही बीज की खरीद करेगा।
11. विश्वविद्यालय को बीज सौंपने के पूर्व खरीद/भंडारण के लिए उत्पादक अपने स्वयं की पैकिंग में अपरिस्कृत बीज नीचे लिखे मानकों के अनुसार, ग्रेडिंग एवं छंटाई की व्यवस्था करेगा।
12. यदि बीज उत्पादक, विश्वविद्यालय को अनुशंसित/निर्धारित मात्रा से कम बीज उपलब्ध कराता है या बीज की कोई भी मात्रा उपलब्ध नहीं कराता है या उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार नहीं सौंपता है, तब उसे दो वर्षों तक बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटन नहीं किया जायेगा एवं न्यायसंगत कार्रवाई भी की जायेगी।
13. निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार, स्वीकार्य गुणवत्ता एवं मात्रा के लिए निर्धारित दरों पर विश्वविद्यालय द्वारा अपरिस्कृत बीज की खरीद की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत बीज को उत्पादक स्वयं के खर्च पर बिक्री करेगा। बीज निदेशालय छोटे या बड़े आकार का/युगल/जुड़वा/क्षतिग्रस्त कुचले/बदरंग/विभाजित कन्दमूल या बल्व के बीज इत्यादि जो कि किसी भी परिस्थिति में लम्बे समय तक भण्डारण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्रय नहीं करेगी।
14. विश्वविद्यालय एवं उत्पादक के बीच खरीद/बिक्री दर की मौखिक सूचना वैध एवं कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी और ऐसी सूचना को विश्वविद्यालय के द्वारा सिरे से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
15. बीज उत्पादक के द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये बीज की राशि का शत् प्रतिशत भुगतान बीज निदेशालय, रा०प्र०क०००वि०वि० के कार्यालय के द्वारा बीज प्राप्ति के एक महीने के अन्दर उत्पादक/नामित व्यक्ति के खाते में सीधे आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०/ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से कर दिया जायेगा।
16. विश्वविद्यालय “कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्धारित बीज का प्रभेद के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के बीज एवं अन्य प्रभेद की खरीद के लिये बाध्य नहीं होगा।
17. प्रसंस्करण के उपरान्त बचे हुए गैर बीज एवं बचे छोटे आकार का बीज इत्यादि को विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निपटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

18. बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण, पटना के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किये गये बीज लॉट को बीज उत्पादक द्वारा सूचना की तारीख से विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय के बीज प्रसंस्करण संयत्र, ढोली से 15 दिनों के अन्दर उठाव स्वयं के खर्च पर कर लेना होगा अन्यथा शेष बची हुई बीज को विश्वविद्यालय अबीज के रूप में निर्धारित दर पर बेचने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा अबीज के बिक्री से प्राप्त राशि एवं पूर्व में बीज उत्पादक को भुगतान की गई राशि के अन्तर को बीज उत्पादक को भरपाई करना होगा अन्यथा अन्तर के राशि को निदेशालय द्वारा संबंधित बीज उत्पादक के लिखित अनुरोध पर अगले बीज उत्पादन कार्यक्रम में समायोजन किया जायेगा। इस प्रकार के राशि का भुगतान उत्पादक द्वारा नहीं किये जाने पर न्यायसंगत कानूनी कार्यवाई की जायेगी।
19. "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" के अंतर्गत तैयार की गई फसल को बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण, पटना के प्रतिनिधि और विश्वविद्यालय के गठित समिति के निरीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त उत्पादक द्वारा उत्पादित बीज को किसी भी परिस्थितियों पर किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को नहीं देना होगा। यदि उत्पादक, इस बीज को सीधे ही अन्य किसी व्यक्ति या संस्था/प्रतिष्ठान एवं अन्य को बेचता है तो उस बीज उत्पादक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
20. विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" के अलावा अथवा बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण, पटना के प्रतिनिधि/पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए प्रक्षेत्रों/खेतों से प्राप्त बीज की खरीद के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।
21. विश्वविद्यालय किसी भी परिस्थिति में, बिना सूचना दिए इस अनुबंध/समझौते को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे मामलों में उत्पादित बीजों की बिक्री के लिए उत्पादक पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।
22. यह एकरारनामा को अच्छी प्रकार से विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा हमारी मातृभाषा में समझाया गया है और यह अनुबंध अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं इस अनुबंध पत्र में इंगित सभी बिन्दुओं को घ्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा चलाये जा रहे "कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम" के अंतर्गत बीज उत्पादन करने के लिये इच्छुक हूँ। मैं अपने होशो—हवास में बिना किसी दबाव का इस अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करता / करती हूँ।
23. यह एकरारनामा बीज उत्पादक एवं निदेशक, बीज (रा०प्र०क०कृ०वि०वि०) के बीच आपसी समझौते के अनुसार हस्ताक्षरित और कार्यान्वित किया गया है। यदि इस एकरारनामा की व्याख्या पर या किसी तरह के लेन—देन या अन्य मुद्दों पर वाद—विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका न्यायिक क्षेत्र समस्तीपुर (बिहार) होगा।

(बीज उत्पादक हस्ताक्षर )

श्री / श्रीमती .....  
पता: .....  
.....  
.....  
.....

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

बीज निदेशक  
राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय,  
पूसा, समस्तीपुर (बिहार)  
नाम.....

## गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

1. नाम .....हस्ताक्षर.....
2. नाम.....हस्ताक्षर.....

**नोट:** इस करारनामा पत्र के सभी पृष्ठों पर बीज उत्पादक, बीज निदेशक (डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर) का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

